E-1246682/2017/RTI
15/9/17

सेवा में,
श्रीमान अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई) दिल्ली

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक दि. 01-09-17 (क्र. सं. आई-1-35014/195-/2017 आर.टी.आई. (जिसकी छायाप्रति संलग्न है) का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके आपने सूचना अधिकार अधिनियम प्रार्थनापत्र पर कार्यवाही हेतु पोस्टल आर्डर प्रत रु. कीमती वांछित पदनाम से भेजने का निर्देश किया है।

प्रार्थी इसी अनुक्रम में " भुगतान एवं लेखाधिकारी (सचिवालय) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली " के नाम प्रेषित कर रहा है और श्रीमानजी से प्रार्थनापत्र पर त्वरित कार्यवाही करने की अपेक्षा रखते, हुए वांछित सूचना अविलम्ब प्राप्त कराने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी।
नूतन प्रकाश सक्सेना एड.
(signature)
नूतन प्रकाश सक्सेना
11-09-17
पंज. नं. 1497/04
mob- 8439355672

दि. -11-09-17

संलग्न :-
1. मूल पोस्टल आर्डर कीमती 10 रु. संख्या - 41F-857137
2. दि. 10-09-17 को आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रपत्र की छायाप्रति।

Sr Dak
15/9
SO(RTI)

FSO(RTI)
15/9/17

Scan & send to
1. SE(R-2) Sh. Dheeraj
2. US(LA) Sh. Amrjit Dutta

8(RTI)

Sh. A.M.
15/09/17

प्रारूप–2

सूचना का [अधि]कार अधिनियम–[20]05 की धारा 6 के आधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध

नामित जनसूचना अधिकारी / सक्षम प्राधिकारी संयुक्त सचिव (भूमि अधिग्रहण) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली

1. आवेदक का नाम– —— नूतन प्रकाश सक्सेना एडवोकेट
2. पिता का नाम– — श्री चैतन्य प्रकाश सक्सेना
3. पता– — कलम्ट्रेट कचहरी नई बिल्डिंग ऊपरी तल बदायूँ
4. ई–मेल पता–
5. दूरभाष संख्या और / या मोबाइल नं0– — 8439355672
6. माँगी गयी सूचना का ब्यौरा

महोदय, प्रार्थी आनन्द कुमार शुक्ला S/o श्री देवकी नन्दन शुक्ला नि० मोहल्ला चाहरवजूर (साहूकारा) जिला बदायूँ ने दि० 08-04-17 को प्रार्थनापत्र माननीय उपमुख्यमंत्री (लो० नि० वि०) उ.प्र. शासन लखनऊ को प्रेषित किया था (जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है) के सन्दर्भ में राजू पुत्र चिम्मन एवं गुड्डो पत्नी राजू अतिक्रमणकर्ता निवासीगण कहला बदायूँ के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? यह कि प्रार्थी के उक्त प्रार्थनापत्र दि० 08-04-17 पर क्या कार्यवाही की गई?

यह कि कार्यवाही का क्या परिणाम / निष्कर्ष रहा? सत्यप्रतिलिपि चाहिए।

7. क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से सम्बन्धित हैं।– नहीं
8. जमा की गयी फीस का ब्यौरा– पोस्टल आर्डर कीमती दस रु०
9. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे बी.पी.एल. की श्रेणी का हैं? नहीं
10. संलग्नों की सूची ① पोस्टल आर्डर कीमती दस रु० संख्या 41F 856479
② प्रार्थनापत्र दि० 08-04-17 प्रतिलिपि
③ दि० 09-06-17 का प्रपत्र निवि सचिव कार्यालय द्वारा प्राप्त

स्थान– बदायूँ

दिनांक– 25-08-17

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

25/08/17

नूतन प्रकाश सक्सेना एड०
कलम्ट्रेट कचहरी नई बिल्डिंग ऊपरी तल
जिला – बदायूँ (उ.प्र.)

1244395/RTI
30-08-2017

RTI

791

IPO matter
30/8

80 (RTI)

Ghans
30/8/17
Sh-A-m.

RECEIVED
29.08.2017
Ministry of Road Transport & Highways

(2)

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,

उ0प्र0 शासन लखनऊ।

विषयः– प्रार्थी/भवन स्वामी के भूमि खसरा नम्बर–37 स्थित बरेली मथुरा मार्ग कछला घाट पर बने भवन पर अतिक्रमणकर्ता राजू पुत्र चिम्मन एवं गुड्डो पत्नी राजू द्वारा भवन के एक परिसर पर अवैध कब्जा करने के सन्दर्भ में।

महोदय,

प्रार्थी आनन्द कुमार शुक्ला पुत्र स्व0 श्री देवकी नन्दन शुक्ला निवासी मोहल्ला चाहखूजर (साहूकारा) जिला बदायूँ (उ0प्र0) का निवासी और भूमि खसरा नम्बर 37 स्थित बरेली मथुरा मार्ग कछला बदायूँ का स्वामी है। प्रार्थी की भूमि पर निर्मित भवन परिसर के एक हिस्से पर जोकि पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कछला जिला बदायूँ के निकट स्थित है उक्त भवन पर अतिक्रमणकर्ता राजू पुत्र चिम्मन एवं गुड्डो पत्नी राजू निवासीगण कछला जिला बदायूँ ने अवैध कब्जा कर लिया है जिससे प्रार्थी की सख्त हकतल्फी है।

प्रार्थी/भवन स्वामी को डर और पूर्ण सन्देह है कि कथित राजू पुत्र चिम्मन एवं गुड्डो पत्नी राजू प्रार्थी/भवन स्वामी के भवन परिसर के कब्जाधारी हिस्से के अतिरिक्त भवन के पीछे वाले हिस्से में भी अवैध कब्जा न कर ले, इसकी शिकायत के बावत प्रार्थी/भवन स्वामी दिनांक 18–02–2016 को तहसील दिवस में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। परन्तु कार्यवाही नही होने पर पुनः दिनांक 06–09–2016 को तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया तथा इस संन्दर्भ में दिनांक 05–12–2016 को कार्यालय तहसील बदायूँ द्वारा प्रेषित प्रपत्र प्राप्त हुआ तथा दिनांक 31–01–2017 को पी0 डब्लू डी0 कार्यालय बदायूँ द्वारा प्रेषित प्रपत्र प्राप्त हुआ, (जिसकी छायाप्रतियां संलग्न है) उक्त प्राप्त प्रपत्रो में अवैध अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही करने का आश्वासन प्रार्थी/भवन स्वामी को दिया गया है परन्तु अभी तक अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यपूर्ण कार्यवाही नहीं की गई है इसलिए इस प्रार्थना पत्र को देने की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी/भवन स्वामी के भवन को अतिक्रमणकर्ता राजू पुत्र चिम्मन एंव गुड्डो पत्नी राजू के अवैध कब्जाधारी भवन परिसर के हिस्से को कब्जामुक्त कराने को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी/पुलिस प्रशासन को समुचित आदेश/निर्देश करने की कृपा करें।

आपकी महान कृपा होगी।

दिनांकः– 08-04-17

प्रार्थी

आनन्द शुक्ला
08-04-17

आनन्द कुमार शुक्ला पुत्र स्व0 श्री देवकी नन्दन शुक्ला
निवासी मोहल्ला चाहखूजर (साहूकारा) जिला बदायूँ (उ0प्र0)।
मोबाइल नं0–9719509962

प्रतिलिपिः–आवश्यक सूचनार्थ एवं प्रेषित।

1–मा0 उपमुख्यमंत्री (लोक निर्माण विभाग)
उ0प्र0 शासन लखनऊ।

(3)

वैभव डांगे
VAIBHAV DANGE

निजी सचिव
सड़क परिवहन, राजमार्ग
एवं पोत परिवहन मंत्री
भारत सरकार
PRIVATE SECRETARY TO
MINISTER OF ROAD TRANSPORT,
HIGHWAYS AND SHIPPING
GOVERNMENT OF INDIA

123629 17

09 जून, 2017

प्रिय श्री आनन्द कुमार जी,

माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित आपका दिनांक 06.06.2017 का पत्र प्राप्त हुआ, जो कि बरेली मथुरा मार्ग (भूमि खसरा नं. 37) कछला घाट पर बने भवन पर अवैध कब्जा करने के संबंध में है।

उपर्युक्त पत्र को अग्रिम कार्रवाई हेतु संयुक्त सचिव (भूमि अधिग्रहण) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित कर दिया गया है।

सादर,

आपका,

(वैभव डांगे)

श्री आनन्द कुमार शुक्ला
निवास मो0 चाहखजूरह (साहूकारा),
जिला बदायूँ
उत्तर प्रदेश

Room No. 503, Transport Bhawan, 1, Sansad Marg, New Delhi-110 001
Tel.: 23711252, 23710121 (O) Fax: 23719023, E-mail: vaibhav.dange@nic.in

फ.स.आई-I-34014/195 /2017-आरटीआई

भारत सरकार

सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय

दिनाक- 01.09.2017

5

सेवा में,

श्री नूतन प्रकाश सक्सेना, एडवोकेट

कलक्ट्रेट कचहरी

नई बिल्डिंग ऊपरी तल

जिला - बदायू (उत्तर प्रदेश)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री नूतन प्रकाश सक्सेना से प्राप्त आवेदन।

महोदय,

मुझे आपका पत्र दिनाक 25.08.2017 जो की इस मंत्रालय मे दिनाक 29.08.2017 को प्राप्त हुआ का अवलोकन करने का निर्देश हुआ है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कतिपय सुचना मांगे जाने के संबध में है।

2. इस संबध में यह देखा गया है कि आपके दारा निर्धारित प्राधिकारी के पक्ष में अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान नही किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि **'भुगतान एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय)' सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली,** को देय 10 रु0 का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ भारतीय पोस्टल आर्डर इस मंत्रालय को तुरंत भेजा जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पर कारवाई 'आवेदन शुल्क' जमा कराने का बाद ही की जा सकती है। 10 रु0 का IPO 41F 856479 इसके साथ वापस किया जा रहा है।

भवदीय

घनश्याम मीना

घनश्याम मीना

अनुभाग अधिकारी(आर.टी.आई)

दहा रुपये दश रुप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO जन सूचनाधिकारी/संयुक्त सचिव (अधि ...) सड़क परिवहन मंत्रालय को नई दिल्ली

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

H.P.O DELHI

के डाकघर में अदा करें।

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

कमीशन COMMISSION रुपया 1RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

रतन प्रकाश सक्सेना ...
... कचहरी ... बिल्डिंग
ऊपरी तल जिला ...

सत्यमेव जयते

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए. DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

41F 856479

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
TRANSPORT BHAVAN, 1 PARLIAMENT STREET
NEW DELHI - 110001

Receipt No. 5263 Dated 20/9/17

Received RTI Application dated..........................

from Sh. Smt. / Mr. नूतन प्रजापति

along with application fee of Rs. 10/- (Rupees Ten

only) / Fee of Rs. —— (Rupees ——

only) for providing information under RTI Act 2005 in

Cash / Demand Draft / Cheque / IPO No. ✓ 41F 857137

Dated ....

Signature / Receipt Official (IFC)